13

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म0प्र0)

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs-20/-

34
28-1-14

1. अनिल कुमार (विकलांग) तनय केमला मिश्रा
2. प्रशान्त } तनय अनिल मिश्रा नाबालिग बली संरक्षक माता,
3. सचिन } सभी निवासी ग्राम--पन्नी, तहसील—मऊगंज, जिला--रीवा (म0प्र0)

R-606-III/14

————अपीलार्थीगण

बनाम्

शासन मध्यप्रदेश, द्वारा-- कलेक्टर/आयुक्त— रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

————रेस्पांडेन्ट

श्री .... एड द्वारा आज दिनांक .... के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अपील विरुद्ध निर्णय एवं आदेश श्रीमान् आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्र0 13/अन्तरण/13—14 आदेश 13.01.14 अपील अंतर्गत धारा 44(1) म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

क्रमांक 462
रिकार्ड ... 7-2-14
... ऑफ कोर्ट ... मण्डल म.प्र. ग्वालियर

यह कि ग्राम—पन्नी स्थित वादग्रस्त आराजियातों का व्यवस्थापन (स्वत्व) प्रकरण क्र0 09/अ—19/2000—01 के अनुसार अर्सा 13—14 वर्ष पूर्व किया गया था, जिसमें प्रार्थी का मकान व निस्तार आदि अनवरत चला आ रहा था, वर्ष 2013 में अपीलार्थी का भतीजा विरोध के चलते जन—सुनवाई में शिकायत प्रस्तुत किया, जिस जन—सुनवाई शिकायत को कलेक्टर महोदय ने स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर बिना, सुनवाई व जबाव का अवसर दिये, यह धमकी दिये कि उक्त व्यवस्थापन आदेश एकपक्षीय रूप से निरस्त कर दूंगा तथा बृजेश मिश्रा से कलेक्टर रीवा रूपला साहब के यहाँ आना—जाना था तथा अधिकारिताविहीन स्वप्रेरणा निगरानी में प्रकरण लेने का तात्पर्य ही पट्टा निरस्त करने का था, जिस प्रकरण को अन्य सक्षम अधिकारी अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय एवं अन्य सक्षम अधिकारी के यहाँ अंतरित किए जने हेतु अंतर्गत संहिता की धारा 29(2) हेतु आवेदन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया, किन्तु आयुक्त महोदय रीवा ने अपने निर्णय व आदेश में गलत व्याख्या करते हुए समुचित आधार न होने

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 606–तीन/2014 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2015	आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र शुक्ला अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि विवादित भमियों का व्यवस्थापन 13–14 वर्ष पूर्व प्र.कमांक–09/अ–19/2000–01 में पारित आदेश से किया गया था । इसी बीच वर्ष 2013 में अपीलार्थी के भतीजे के जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्व. निग. में लेकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी । यह भी व्यक्त किया गया कि कलेक्टर रीवा के साथ शिकायत कर्ता के संबंध काफी अच्छे थे जिसे देखते हुए कलेक्टर से न्याय की आशा न होने के कारण संहिता की धारा 29(2) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को अन्य न्यायालय में सुने जाने हेतु स्थानांतरित करने का निवेदन किया गया जिसे आयुक्त रीवा द्वारा यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि प्रकरण में स्थानांतरण का कोई समुचित आधार नहीं है । जबकि प्रकरण को स्थानांतरित करने का पर्याप्त आधार था । इसके अतिरिक्त वहीं निवेदन किया गया जो निगरानी मेमो में अंकित है । आयुक्त रीवा के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया । आवेदक अभिभाषक के उक्त प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में निगरानी मेमों के संलग्न आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक–13.01.14 को अवलोकन किया गया । आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में समग्र बिन्दुओं पर विचारोंपरांत निर्णय दिया गया है कि अंतरण के जो आधार वर्णित किए गये है वे कलेक्टर रीवा के न्यायालय की बैधानिक प्रकिया से संबंधित है आवेदक द्वारा आवेदन में ऐसा कोई ठोस कारण प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि आवेदक को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में न्याय न मिलने की आशंका निर्मित होती हो। आवेदक इस न्यायालय में भी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि कलेक्टर रीवा के न्यायालय में आवेदक को न्याय न मिलने की संभावना प्रबल है । कलेक्टर रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक–13..01.14 में प्रकरण में अंकित तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण कर आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में आयुक्त रीवा के उक्त आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक–13.1.14 स्थिर रखा जाता है । यह निगरानी निरस्त की जाती है । सदस्य	